न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी , सवाई माधोपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :–हरि राम मीना ,आर.ए.एस.

अपील संख्याः– 35 / 2019 (225 आर.टी.एक्ट)

जी.सी.एम.एस .संख्याः– 2019 / 00103

उनवान

1. केदारलाल पुत्र श्रीपत जाति ब्राहमण निवासी चटीकना तहसील एवं जिला करौली राजस्थान। (फौत)
   1 / 1. दिलीप पुत्र केदारलाल
   1 / 2. हरीश पुत्र केदारलाल
   1 / 3. सोनू पुत्र केदारलाल
   1 / 4. संतरा पुत्री केदारलाल
   1 / 5. सुनीता पुत्री केदारलाल
   1 / 6. अनीता पुत्री केदारलाल
2. श्रीमति प्रेम पत्नि बासुदेव
3. श्रीमति रेखा पत्नि लडडूगोपाल

   समस्त जातियान ब्राहमण निवासी चटीकना तहसील एवं जिला करौली राजस्थान।

(अपीलांटस्)

बनाम

1. श्रीमति कृष्णा देवी पत्नि गिर्राज प्रसाद
2. शैलेन्द्र पुत्र गिर्राज प्रसाद
3. धर्मेन्द्र पुत्र गिर्राज प्रसाद
4. धीरज पुत्र गिर्राज प्रसाद
5. उमा पुत्री गिर्राज प्रसाद
6. मधु पुत्री गिर्राज प्रसाद
7. श्याम सुन्दर पुत्र गणपतलाल
8. रमेश चन्द पुत्र गणपतलाल

   समस्त जातियान ब्राहमण निवासी चटीकना तहसील एवं जिला करौली राजस्थान।

(रेस्पोडेन्टस्)

उपस्थितः–

1. श्री श्याम प्रकाश गर्ग अधिवक्ता अपीलांट।
2. श्री विष्णु चन्द बंसल अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 ता 04।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 अनुपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

—:: निर्णय ::—

दिनांकः 31.07.2023

1. यह अपील मातहत अदालत उपखण्ड़ अधिकारी उपखण्ड़ करौली जिला करौली में दायर राजस्व वाद पत्र 53/2002 बउनवान गिर्राजप्रसाद बनाम केदार लाल में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 के विरुद्व अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय हाजा में मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण मे संक्षिप्त इस प्रकार है कि रेस्पो./प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी करौली में इस आशय के पेश किया है कि आराजी खसरा नम्बर 8148 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा कस्बा करौली वेरेन का पुरा मोल के बाग के पीछे स्थित है। इस आरीजी पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण खातेदार काबिज काश्त है। गैरसायलान /अपीलान्टगण का कोई तालुक वास्ता नहीं है। परन्तु गैरसायलान द्वारा 10.07.2012 यह धमकी दी गई कि आप इस आराजी से कोई वास्ता नहीं है और बेदखल करके रहेगें। यदि गैरसायलान द्वारा ऐसा किया गया तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रार्थना पत्र में अनुतोष चाहा गया कि गैरसायलान को दौराने दावा अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। अदालत मातहत में निर्णय दिनांक 17.01.2012 द्वारा प्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 8148 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा कस्बा करौली में सायलान के कब्जेकाश्त में मजाहामद मदाखलत नहीं करने बाबत पाबन्द किया गया और अपीलान्टगण/गैरसायलान का काउन्टर क्लेम खारिज किया गया। इस आदेश से व्यथित होकर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई।

3. अपील मीमों के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब का विवेचन नहीं किया गया है। वादग्रस्त अराजीयात सैटलमेन्ट सवंत् 2015 में इनके बुजुर्ग श्रीपत व श्रीपत के साझी चन्दन माली के खाते में रही है। राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन बेचान , अदालत के आदेश के द्वारा ही सम्भव है परन्तु रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी गणपत ने नाजायज फायदा उठाकर श्रीपत का नाम का इन्द्राज हटवाकर वाहिद खातेदारी दर्ज करवा ली, जो गैरकानूनी है। आगे अंकन किया गया है कि श्रीपत के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं। अपीलान्ट केदार व अन्य सहखातेदारों द्वारा एक दावा केदार बनाम गिर्राज मु. नं. 30/2013 को समेकित किये जाने के स्तर पर वाद लम्बित था परन्तु अदालत मातहत द्वारा बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये ही जो आदेश पारित किया उसको खारिज किया जावें।

4. अपील के साथ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा 05 पेश किया गया। इसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी केदार 80 साल का बुजुर्ग है, मुकदमा सन् 2012 से लम्बित है । अधिवक्ता के आश्वासन पर कि आपको अदालत में आने की जरूरत नहीं है, निर्णय होने पर जानकारी करा दी जावेगी परन्तु अधिवक्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अपीलान्ट द्वारा उनको इस तथ्य की जानकारी नहीं करायी गयी। निर्णय की जानकारी 02.07.2019 को वकील साहब द्वारा करवायी गयी। जानकारी होने पर अपील मियाद अन्दर पेश की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए उभयपक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

5. सर्वप्रथम अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 05 लिमिटेशन एक्ट पर संक्षिप्त बहस करते हुये प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की इस्तदुआ की गई।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के जवाब में कथन है कि अपील को देरी से पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण भी अंकित नहीं किया गया है। अतः अपीलाण्ट का प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम खारिज कर अपील खारिज की जावें।

7. सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम पर निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम को अपीलाण्ट द्वारा सशपथ सत्यापित किया है जबकि जवाब में कोई शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है। इस कारण अपीलाण्ट के प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधि. के साथ संलग्न शपथ पत्र पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है। विभिन्न माननीय न्यायालयों द्वारा भी मियाद बिन्दु के बारे में नरम रूख अपनाने के निर्देश देते हुए यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि वाद को गुणावगुण के आधार पर, न कि तकनीकी आधार पर निपटाया जाना चाहिए। फलस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट स्वीकार किया जाता है।

8. मुख्य बहस मे अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमों मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलान्ट विवादित भूमि पर काबिज होकर खेती करता चला आ रहा है। वादग्रस्त अराजीयात सैटलमेन्ट सवंत् 2015 में इनके बुजुर्ग श्रीपत व श्रीपत के साझी चन्दन माली के खाते में रही है। राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन बेचान , अदालत के आदेश के द्वारा ही सम्भव है परन्तु रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी गणपत ने नाजायज फायदा उठाकर श्रीपत का नाम का इन्द्राज हटवाकर वाहिद खातेदारी दर्ज करवा ली, जो गैरकानूनी है। आगे अंकन किया गया हैकि श्रीपत के सभी वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया हैं परन्तु अदालत मातहत द्वारा बिना रिकॉर्ड के विवेचन किये ही जो निर्णय पारित किया उसको अपास्त किया जावें।

9. जवाब बहस मे रेस्पोडेन्टगण ने कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 8148 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा पर प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण खातेदार काबिज काश्त है। गैरसायलान /अपीलान्टगण का कोई तालुक वास्ता नहीं है प्रार्थी/रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजीयात पर काबिजकाश्त चले आ रहे है और वादग्रस्त अराजीयात की गिरदावरी भी इनके नाम अकंन है। अगर अदालत मातहत के फैसले को निरस्त किया जाता है तो प्रथम दृष्टया अपूर्णीय क्षति रेस्पोडेन्ट को होगी। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

अदालत मातहत द्वारा विधि पूर्वक निर्णय पारित किया गया है अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमारे द्वारा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। उभयपक्षकारान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया।

10. पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों व साक्ष्यों के अवलोकन से जाहिर आया कि जमाबंदी सेटलमेन्ट संवत् 2015, वाके कस्बा करौली वेरेन का पुरा के अनुसार खसरा नंबर 8148 रकबा 03 बीघा 06 बिस्वा चन्दन पुत्र नानगा कौम माली व श्रीपत पुत्र कौम ब्राहम्ण साकिन्देह के नाम जमाबन्दी के खाना संख्या 5 प्रशक के कॉलम में अंकित है व जमाबन्दी संवत 2023 से 2016 में उक्त कृषकों के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है । परन्तु संवत 2036 से 2039 की जमाबन्दी में श्रीपत के नाम को जमाबन्दी के कॉलम संख्या 5 से काट दिया है व तत्पश्चात जमाबन्दी संवत 2039 से 2042 में वादग्रस्त अराजीयात गणपत पुत्र गूजरमल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है व खसरा गिरदावरी में नाम अंकन चला आ रहा है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 212 के निर्णय में "कब्जा" एक महत्वपूर्ण कारक है। यद्यपि खातेदारी अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में तय किया जाएगा परन्तु खसरा गिरदावरी संवत 2032 के आधार पर वादग्रस्त अराजीयात पर कब्जा रेस्पोडेन्टगण का साबित है। प्रथम दृष्टया प्रकरण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। अदालत मातहत द्वारा सही रूप से आदेश पारित किया गया है।

काउन्टर क्लेम के निर्धारण में सेटलमेन्ट विभाग जमाबन्दी संवत 2015 एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। परन्तु विवेचन में इस दस्तावेज का अदालत मातहत द्वारा कोई विवेचन नहीं किया गया है। प्रकरण में आगे वादकरण की स्थिति को रोकने के लिए न्यायहित में यह आवश्यक है कि अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की और से मुख्य बहस के समय इसी विवाद से संबंधित न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश सवाई माधोपुर मे पटवार हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट दिनांक 22.09.05 पेश की गई, जिसके अनुसार " विवादित भूमि खसरा नंबर 819 का निरीक्षण किया गया राजस्व रिकार्ड के अनुसार खसरा नंबर 819 मे कुआ बना हुआ नही है। कुआ खसरा नंबर 819 के पास की भूमि खसरा नंबर 815 मे बना हुआ है। " इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 819 मे कोई कुआं नही बना हुआ है। मातहत अदालत की पत्रावली मे एक प्रमाणित प्रतिलिपि जिला एवं सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर राज0 के समक्ष प्रस्तुत 20 रूपये के स्टाम्प मे कही पर भी विवादित आराजी के खसरा नंबर 819 रकबा 1.26 है0 का अंकन नही है, न ही अपील मीमो मे खसरा नंबर का अंकन किया गया है। मातहत अदालत के निर्णय दिनांक 19.02.2015 मे भी खसरा नंबर का कोई उल्लेख नही किया गया है। अतः अपीलांट/वादी इस तथ्य को साबित करने मे असफल रहे कि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 819 रकबा 1.26 है0 उनके कब्जे काश्त की आराजी है। जमाबंदी संवत् 2067–2070 से भी स्पष्ट है कि विवादित आराजी रेस्पोडेन्टगण के

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Scanned with CamScanner

खातेदारी की आराजीयात है। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत यहां चस्पा नही होते है, परन्तु अदालत मातहत द्वारा जमाबंदी संवत् 2036–2039 मे अपीलांट के पूर्वज का नाम अंकन है।

11. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार योग्य नही पाए जाने से आंशिक स्वीकार की जाती है। अदालत मातहत के मुकदमा नंबर 53/2002 बउनवान गिर्राजप्रसाद बनाम केदार लाल में पारित निर्णय दिनांक 17.01.2019 को यथावत् रखा जाता है और प्रकरण मे आगे अन्य कोई वादकरण उत्पन्न नही हो, अतः मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्टगण को वादग्रस्त आराजीयात के रहनबय नही करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है।

12. पत्रावली फैसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। निर्णय सरेइजलास आज दिनांक 31.07.2023 को सुनाया गया।

(हरि राम मीना)
31.07.23
राजस्व अपील प्राधिकारी,
सवाई माधोपुर